कंज्यूमर केयर अभियान के तहत विभिन्न मिष्ठान भण्डारों पर हुई कार्रवाई

निसं

दूदू (नवयत्न)। जिलेभर में रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व पर मिठाई, सूखे मेवे व बेकरी उत्पादों के वजन में खाली डिब्बे का वजन तौलने तथा कम तौलने पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय दूदू के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कारवाई कर जुर्माना लगाया गया। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और डिब्बाबंद वस्तुएं नियमों 2011 की पालना व प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निरीक्षक सरिता व विधिक माप विज्ञान अधिकारी कोशल कुमार गुप्ता के संयुक्त जाँच दल द्वारा गुरुवार को दूदू में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान अन्नपूर्णा जोधपुर मिष्ठान भंडार, साहू मिष्ठान भंडार, जोधपुर स्वीट्स और चौधरी मिष्ठान भंडार पर माप-तौल के काँटे असत्यापित पाये गये तथा श्रीराम मिष्ठान भंडार पर काँटे का सत्यापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। जिला रसद अधिकारी जैन ने बताया कि जांच के दौरान पायी गई अनियमितताओं पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर जांच दल द्वारा जुर्माना लगाया गया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अभियान दौरान इन नियमों के तहत उल्लंघन करने वाली फर्मों/प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

दैनिक भास्कर
जयपुर-दूदू भास्कर 23-08-2024

चार मिष्ठान भंडार पर कांटे असत्यापित मिले, 9 हजार रु. की लगाई गई पेनल्टी

भास्कर न्यूज़ | दूदू

दूदू जिले में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत रसद विभाग में अलग-अलग जगह पर मिष्ठान भंडार की दुकानों पर कार्यवाही की गई। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व पर मिठाई, सूखे मेवे,बेकरी उत्पादों के वजन में ख़ाली डिब्बे का वजन तौलने की तथा कम तौलने की पर प्रभावी अंकुश लगाने और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग सचिव भास्कर सावंत के निर्देश पर नियंत्रक राजेंद्र विजय के प्रवेक्षण में राज्यभर में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कारवाई की गई। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और डिब्बाबंद वस्तुएँ नियमों 2011 की पालना व प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिला रसद अधिकारी दूदू की टीम ने प्रवर्तन निरीक्षक सरिता,विधिक माप विज्ञान अधिकारी कोशल कुमार गुप्ता की संयुक्त जांच दल द्वारा दूदू में फ़र्मों पर जाँच की गई, जांच दौरान अन्नपूर्णा जोधपुर मिष्ठान भंडार, साहू मिष्ठान भंडार,जोधपुर स्वीट्स और चौधरी मिष्ठान भंडार पर कांटे असत्यापित मिले साथ ही एक अन्य मिष्ठान भंडार पर कांटे का सत्यापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। अनियमितताओ को लेकर प्रकरण दर्ज कर 9 हजार की पेनल्टी जुर्माना लगाया गया। अभियान दौरान नियमों के उलंघन करने वाली फ़र्मों के ख़िलाफ़ कार्यवाही लगातार जारी रहेंगी।

दूदू में मिठाई की दुकानों पर तोल में गड़बडियां, लगाया गया जुमार्ना

हमारा समाचार

कंज्यूमर केयर अभियान के तहत जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर हुई कार्यवाही, कई दुकानों पर माप-तौल के कांटे पाए गए असत्यापित, जारी रहेगा एक्शन

दूदू। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व पर मिठाई, सूखे मेवे व बेकरी उत्पादों के वजन में खाली डिब्बे का वजन तौलने तथा कम तौलने की गलत प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के निदेर्शों पर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कारवाई कर जुमार्ना लगाया गया। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और डिब्बाबंद वस्तुएं नियमों 2011 की पालना व प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निरीक्षक सरिता व विधिक माप विज्ञान अधिकारी कौशल कुमार गुप्ता के संयुक्त जांच दल द्वारा गुरुवार को दूदू में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अन्नपूर्णा जोधपुर मिष्ठान भंडार, साहू मिष्ठान भंडार, जोधपुर स्वीट्स और चौधरी मिष्ठान भंडार पर माप-तौल के कांटे असत्यापित पाये गये तथा श्रीराम मिष्ठान भंडार पर कांटे का सत्यापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। जिला रसद अधिकारी जैन ने बताया कि जांच के दौरान पायी गई अनियमितताओं पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर जांच दल द्वारा कारवाई करते हुए कुल 9000 रुपए शास्ति लगायी गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अभियान दौरान इन नियमों के तहत उलंघन करने वाली फर्मों/ प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 9 हजार रुपए का जुर्माना वसूला

न्यूज सर्विस/नवज्योति, दूदू। त्योहारों पर मिठाई, सूखे मेवे व बेकरी उत्पादों के वजन में खाली डिब्बे का वजन तौलने तथा कम तौलने की गलत प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार के निर्देशों पर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक सरिता व विधिक माप विज्ञान

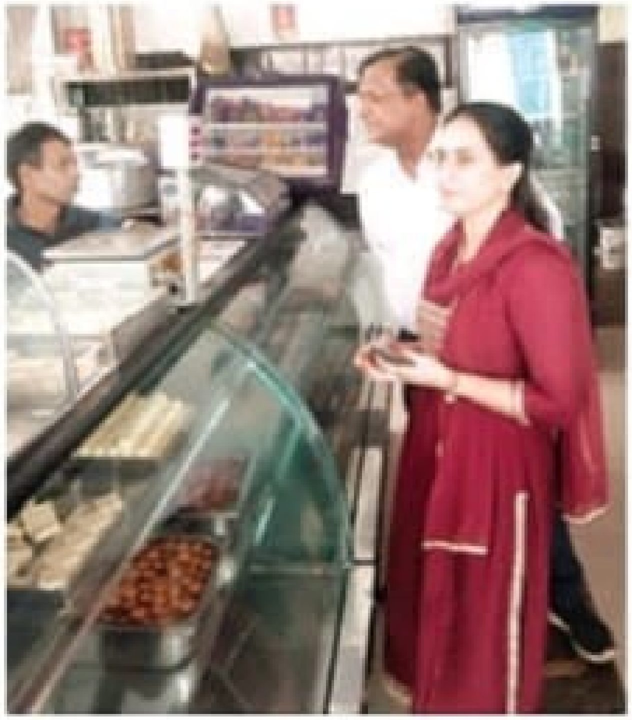

अधिकारी कोशल कुमार गुप्ता के संयुक्त जांचदल ने गुरुवार को दूदू में जांच की। जांच में अन्नपूर्णा जोधपुर मिष्ठान भंडार, साहू मिष्ठान भंडार, जोधपुर स्वीट्स और चौधरी मिष्ठान भंडार पर माप-तौल के कांटे असत्यापित मिले तथा श्रीराम मिष्ठान भंडार पर कांटे का सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं मिला। जैन ने बताया कि कारवाई कर कुल 9000 रुपए शास्ति लगाई गई। अभियान के तहत उलंघन करने वाली फर्मों, प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।